आदिम जातीय क्षेत्रों में मेडिकल कालेज

1577. **श्री शशि भूषण वाजपेयी** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में समस्त मेडिकल कालेज केवल नगरीय क्षेत्रों में ही खोलने तथा आदिम जातीय क्षेत्रों में न खोलने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार कुछ घनी बस्ती वाले आदिम जातीय क्षेत्रों में मेडिकल कालेज खोलने की कोई योजना बना रही है; और

(ग) क्या सरकार का विचार पश्चिम निमाड़ जिले में सेंधवा के आदिम जातीय क्षेत्र में एक मेडिकल कालेज खोलने का है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) मेडिकल कालेज खोलने के लिए पहले शिक्षण अस्पताल, प्रशिक्षण देने वाले कर्मचारी, क्लीनिकी उपकरण, प्रशिक्षण पाने वाले छात्र आदि बहुत सी सुविधाओं का उपलब्ध होना जरूरी है। यह जनसंख्या पर भी निर्भर करता है क्योंकि स्वास्थ्य सर्वेक्षण और योजना समिति के सुझावों के अनुसार एक मेडिकल कालेज पचास लाख की आबादी के पीछे खुलना चाहिये। ये शर्तें शहरी क्षेत्रों में ही पूरी होती हैं ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) नये मेडिकल कालेजों का खोलना राज्य सरकारों के कार्य क्षेत्र में पड़ता है। राज्य सरकारों को ऐसे कालेजों के लिये केन्द्रीय सहायता एक निश्चित नियम के अनुसार दी जाती है। कालेज कहां कहां पर खुलने हैं यह निर्णय सम्बन्धित राज्य सरकार करती है।

मध्य प्रदेश सरकार पश्चिम निमाड़ जिले में सेन्धवा के आदिम जाति क्षेत्र में कोई नया मेडिकल कालेज खोलना चाहती है या नहीं भारत सरकार को इसकी कोई जानकारी नहीं है।

सड़क कूटने के इंजन

1578. **श्री शशि भूषण बाजपेयी** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारत में बनाये जाने वाले सड़क कूटने के ऐसे इंजनों के नामों की सूची सभा-पटल पर रखने का है, जो पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क बनाने के लिए उपयोगी हैं और सस्ते भी हैं, और जो पूर्ति विभाग द्वारा खरीदे तथा बेचे जाते हैं; और

(ख) सड़क कूटने के कुछ ऐसे इंजन न खरीदे जाने के क्या कारण हैं, जो सस्ते हैं और उपयोगी भी हैं और उन इंजनों के नाम क्या हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख). मैदानी क्षेत्रों में तथा पहाड़ी क्षेत्रों में प्रयोग के लिए 8 से 10 टन की क्षमता के मानक टाइप के सड़क कूटने के इंजन दर ठेके/मूल्य करार के आधार पर निम्नलिखित फर्मों से खरीदे जा रहे हैं :—

(1) मैसर्स गार्डन रीच वर्कशाप;

(2) मैसर्स ब्रिटानिया इंजीनियरिंग;

(3) मैसर्स जैसप।

मैसर्स यू०पी०सी०सी० नाम की एक अन्य फर्म एग्रिडमोर मेक के सड़क कूटने के इंजन सप्लाई करती थी, परन्तु अनियमितताओं और उन इंजनों की पूरी सप्लाई न कर सकने के कारण इस फर्म के साथ दर ठेके का नवीकरण नहीं किया गया।

केवल विशिष्ट सीमित मांगों पर ही, कम क्षमता के सड़क कूटने के इंजन निम्नलिखित फर्मों से खरीदे गए थे :—

(1) मैसर्स गार्लिक (3-4 टन की क्षमता)

(2) मैसर्स जैसप (4-6 टन की क्षमता)